भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3442

दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी

†3442. श्री एम. के. राघवन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की कमी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कोई आकलन कराया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा मौजूदा रिक्तियों को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने देश भर के सरकारी अस्पतालों में बड़ी शल्य चिकित्साओं के लिए औसत प्रतीक्षा अवधि का आकलन किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अतिरिक्त अवसंरचना और जनशक्ति के माध्यम से प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। रिक्तियों सहित जन स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने की प्राथमिक जिम्मेदारी, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं(पीआइपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड(आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है।

देश भर के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों और नर्सिंग स्टाफ का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण एचडीआई 2023-24 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf

एनएचएम के अंतर्गत, स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए देश के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में प्रैक्टिस करने के लिए डॉक्टरों, विशेषज्ञों और नर्सिंग स्टाफ को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

- ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सेवा करने और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता दिया जाता है ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा करने के लिए प्रेरित हों।

- ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सीज़रियन सेक्शन कराने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्रीरोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति देखभाल (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बालरोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्ट/जीवन रक्षक एनेस्थीसिया कौशल (एलएसएएस) प्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।

- प्रोत्साहन जैसे डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसव पूर्व जाँच (एएनसी) जाँच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स और मिडवाइफ (एएनएम) के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियों का संचालन करने के लिए प्रोत्साहन।

- राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलेपन सहित, नेगोशिएबल सैलरी देने की भी अनुमति है।

- एनएचएम के तहत कठिनाई वाले क्षेत्रों में सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में वरीयता और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी शुरू किए गए हैं।

- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए एनआरएचएम के तहत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अतिरिक्त, भारत सरकार के पास स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना और मानव संसाधन को सुदृढ़ करने और प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए चल रही योजनाएं इस प्रकार हैं:

- **प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम),** केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) घटक शामिल हैं, को स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी, जन स्वास्थ्य कार्रवाई और स्वास्थ्य अनुसंधान को एकीकृत करने वाले सुधारों के माध्यम से भारत की जन स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित किया गया है, जिससे महामारी और अन्य जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का प्रभावशाली रूप से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता में वृद्धि हो सके।

- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई):** इसका उद्देश्य देश में किफायती विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाना है। इस योजना के दो घटक हैं, नामत: (i) अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना करना; और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों (जीएमसीआई) का उन्नयन करना है। अब तक इस योजना के तहत विभिन्न चरणों में 22 नए एम्स की स्थापना और 75 जीएमसीआई के उन्नयन की परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

- केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत 'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए देश में कुल 157 मेडिकल कॉलेजों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।
